

कार्यालय:-मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा.अराज./3क(2)/ 470 /30 प्रति.पदोन्नति/2022-23/दिनांक 18.08.2022

विज्ञप्ति/पदोन्नति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली -2019 (यथासंशोधित) के नियम-16 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/सेवाए-2/844/मा0न्या0प्र0/2019-20 दिनांक 15 अप्रैल 2019 पत्रांक/सेवाए-2/19697/30 प्रतिशत/2019-20 दिनांक 05 दिसम्बर 2020 एवं पत्रांक/सेवाए-2/अराज0 /7455-57/30प्रति0 पदो/2022-23 दिनांक 25 जून 2022द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में विज्ञप्ति वर्ष 2019-20 के सापेक्ष राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक रा0प्रा0वि0, सहायक अध्यापक, रा0उ0प्रा0वि0 एवं सहायक अध्यापक, राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित प्रधानाध्यापक, रा0प्रा0वि0/सहायक अध्यापक रा0उ0प्रा0वि0/रा0आ0वि0 को स0अ0एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (वेतन मैट्रिक्स 44900-142400, लेवल-7) में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-07 में अंकित विद्यालय में अनुपयुक्तता को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर मौलिक पदोन्नति प्रदान की जाती है। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्येष्ठता नियमानुसार बाद में निर्धारित की जायेगी। पदोन्नति हेतु सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों में किसी भी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों में किसी भी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका की पदोन्नति समाप्त कर दी जायेगी। जिस हेतु सम्बन्धित का कोई दावा/क्लेम मान्य नहीं होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को आदेश निर्गत किये जाने की तिथि से 15 दिनों के अन्तर्गत अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। औपबन्धिक श्रेणी के शिक्षक/शिक्षिकाओं को इस कार्यालय द्वारा उनके मूल शैक्षणिक/प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों के सत्यापन के उपरान्त उनका औपबन्धन समाप्त किया जायेगा। पदोन्नति के फलस्वरूप आवंटित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं को आगामी 03 वर्ष तक पदोन्नति प्रदान नहीं की जायेगी।

विषय-व्यायाम (सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अध्यापक/ अध्यापिका का	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद	प्रथम नियुक्ति तिथि	पदोन्नत/ पदस्थापित विद्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रदीप कुमार, स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 चकरोडा	भिलंगना	टिहरी	19-07-2005	रा0इ0का0 डांगी, भिलंगना, टिहरी	औपबन्धिक पदोन्नति
2	देवेन्द्र मैठाणी, स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 अंगतोली	नारायणबगड	चमोली	10-11-2005	रा0इ0का0 उज्जवलपुर, कर्णप्रयाग, चमोली	औपबन्धिक पदोन्नति
3	देवेन्द्र सिंह, स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 कालूसैण	कर्णप्रयाग	चमोली	10-11-2005	रा0इ0का0 सलियाणा, कर्णप्रयाग, चमोली	औपबन्धिक पदोन्नति
4	विजय सिंह, स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 भिकोना	पोखरी	चमोली	10-11-2005	रा0उ0मा0वि0 मसोली, पोखरी, चमोली	औपबन्धिक पदोन्नति
5	पंचम सिंह रावत, प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 पूर्णा	देवाल	चमोली	10-11-2005	रा0इ0का0 जौलाकोट, थराली, चमोली	औपबन्धिक पदोन्नति
6	बीरेन्द्र सिंह रौतेला, स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 धारवारम	नारायणबगड	चमोली	10-11-2005	रा0इ0का0 असेड सिमली, नारायणबगड,	औपबन्धिक पदोन्नति
7	प्रेमचन्द्र मैन्दोली, स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 कनोल	नन्दानगर	चमोली	10-11-2005	रा0इ0का0 कुण्डबगड, नन्दानगर, चमोली	औपबन्धिक पदोन्नति
8	प्यारे लाल सेमवाल, स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 खाण्ड	चम्बा	टिहरी	14-11-2005	रा0इ0का0 टिपरी, जाखणीघार, टिहरी	औपबन्धिक पदोन्नति
9	दर्शन सिंह चौहान, स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 कन्ताडी	पुरोला	उत्तरकाशी	18-03-2006	रा0इ0का0 राजगढी, नौगांव उत्तरकाशी	औपबन्धिक पदोन्नति
10	मनोज कुमार, स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 दणगाणगांव	मोरी	उत्तरकाशी	18-03-2006	रा0इ0का0 श्रीकोट, जौनपुर, टिहरी	औपबन्धिक पदोन्नति

11	अमर सिंह, प्र०अ०	रा०प्रा०वि० जोगिडा	नेनीडांडा	पौडी	01-08-2006	रा०इ०का० डायरी, रिखणीखाल, पौडी	औपवन्धिक पदोन्नति
12	मुजीब हसन, स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० घोल्डानी	प्रतापनगर	टिहरी	16-08-2006	रा०इ०का० कनैलधार, जाखणीधार, टिहरी	औपवन्धिक पदोन्नति
13	तिजेन्द्र सिंह, प्र०अ०	रा०प्रा०वि० देवरी	भिलंगना	टिहरी	16-02-2009	रा०इ०का० न्यूली, कीर्तिनगर, टिहरी	औपवन्धिक पदोन्नति
14	जय प्रकाश नाथ, प्र०अ०	रा०प्रा०वि० तोणखण्ड	भिलंगना	टिहरी	16-02-2009	रा०इ०का० नागेश्वरसौड, भिलंगना, टिहरी	औपवन्धिक पदोन्नति
15	यशपाल सिंह असवाल, स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० जान्दणू	नौगांव	उत्तरकाशी	18-03-2006	रा०उ०मा०वि० दुईक, नौगांव, उत्तरकाशी	मा० न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 856/ एस०एस०/2020 में पारित आदेश दिनांक 17.05.2022 के अनुपालन में पदोन्नति
16	महावीर सिंह राणा, स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० बौन	डुण्डा	उत्तरकाशी	18-03-2006	रा०इ०का० ज्येष्ठवाडी, चिन्वालीसौड, उत्तरकाशी	मा० न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 856/ एस०एस०/2020 में पारित आदेश दिनांक 17.05.2022 के अनुपालन में पदोन्नति
17	धनवीर सिंह, स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० सरबडियार	पुरोला	उत्तरकाशी	18-03-2006	रा०इ०का० भटाड, चकराता, देहरादून	मा० न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 856/ एस०एस०/2020 में पारित आदेश दिनांक 17.05.2022 के अनुपालन में पदोन्नति

(महावीर सिंह बिष्ट)

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)


गढ़वाल मण्डल पौड़ी

पृ.सं./सेवा.अराज./3क(2)/ 5857-70 /30 प्रति. पदोन्नति/2022-23/दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 6- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं के कार्यभार ग्रहण की सूचना प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक से प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
- 7- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा.)
- 8- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (वेसिक) को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) पर भी उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं के पदोन्नति आदेश सम्बन्धित उपशिक्षा अधिकारियों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें एवं कार्यभार मुक्ति की सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 9- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 10- सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
- 11- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।

- 12- सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को (सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. के माध्यम से) इस आशय से प्रेषित कि पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिका को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी समस्त अभिलेखों का भली-भांति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तत्पश्चात सम्बन्धित विषय का पद रिक्त होने पर ही सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित उक्त के अतिरिक्त निम्न तथ्यों की भी पुष्टि कर लें:-
- (क) सम्बन्धित शिक्षक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।
- (ख) चयन वर्ष की प्रथम तिथि को न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण की हों तथा वर्तमान में वेतनमान- 44900-142400 वेतन मैट्रिक्स में लेवल 07 में कार्यरत हों।
- (ग) शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हो।
- (घ) उक्त शिक्षकों के लिये नियमावली के नियम 8 के उपनियम (1) के खण्ड (तीन:) के अनुसार प्रशिक्षण अर्हता के उपबन्ध लागू होंगे।
- 13- सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अन्तर्गत पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित शिक्षक अपने पदोन्नत विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के सम्मुख पदोन्नति आदेश के साथ संलग्न समस्त शैक्षणिक, प्रशिक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छाया प्रतियों सहित) प्रस्तुत करेंगे।
- 14- एम.आई.एस. प्रभारी, कार्यालय-महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से कि उक्त सूची को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करें।
- 15- कार्यालय आदेश पंजिका।


(महावीर सिंह बिष्ट)
मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी